(21)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

डॉ0 मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2083–एक/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–4–14 एंव 24–5–14 – पारित व्दारा तहसीलदार टोंकखुर्द जिला देवास – प्र0क0 17 अ 70/2011–12

1– मेहरवानसिंह 2– मानसिंह पुत्रगण बलवन्त सिंह
3– सौभलसिंह 4– राजेन्द्रसिंह 5– भुरिया पुत्र/पुत्री
मेहरवानसिंह 6– कमल पुत्र मानसिंह सभी निवासी
ग्राम झाडखेड़ी तहसील टोंकखुर्द जिला देवास ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती सुमित्रा पति नरेन्द्र कंजर
2– श्रीमती अनितावाई पति जितेन्द्र कंजर
दोनों निवासी ग्राम भेरवाखेड़ी रोड(चिड़ावद)
तहसील टोंकखुर्द जिला देवास ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री सूचना उपरांत अनुपस्थित)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)

<u>अ ा दे श</u>

(आज दिनांक 7 नवम्बर, 2015 को पारित)

तहसीलदार टोंकखुर्द जिला देवास द्वारा प्र0क0 17 अ–70/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 20–4–14 एंव 24–5–14 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने तहसीलदार टोंकखुर्द को आवेदन दिनांक 13–8–12 प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम झाडखेड़ी में उनके नाम भूमि सर्वे कमांक 160 रकबा 0.90 है. तथा 170/1 रकबा 0.570 हैक्टर है किन्तु आवेदकगण ने उनकी भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है इसलिये कब्जा वापिस दिलाया जावे। तहसीलदार टोंकखुर्द ने प्रकरण कमांक 17 अ 70/2011–12 दर्ज किया तथा उभय पक्ष की सुनवाई प्रारंभ की। सुनवाई के दौरान पेशी

20.4.14 को अनावेदकगण के अभिभाषक एंव अनावेदक क्र-5 भुरिया उपस्थित हुये। आवेदकगण के साक्षीगण के कथन शपथ पत्र पर पेशी 3-9-13 को हुये थे उसके वाद प्रकरण आवेदकगण के प्रतिपरीक्षण हेतु नियत किया गया तथा अंतरिम आदेश दिनांक 20-4-14 से आवेदकगण का प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त कर दिया। आगामी तिथी 24-5-14 को आवेदकगण ने संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की, किन्तु अंतरिम आदेश दिनांक 20.4.14 निगरानी योग्य होना मानते हुये आवेदकगण का धारा 32 का आवेदन निरस्त किया गया। इन्हीं दोनों आदेशों के विरूद्ध यह निगरानी की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक पेशी 16-9-14 को सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से प्रकरण में अदम पैरवी की कार्यवाही हो चुकी है तथा प्रकरण पुर्नस्थापन पर प्रचलित है , फिर भी निगरानीकर्ता के अभिभाषक सूचना उपरांत अनुपस्थित हैं । अनावेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने। न्यायदान की दृष्टि से प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त न कर गुणदोष के आधार पर यह आदेश पारित किया जा रहा है।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार टोंकखुर्द के प्रकरण के अवलोकन से विचार-योग्य है कि अनावेदकगण के स्वत्व एंव स्वामित्व की ग्राम झाडखेड़ी स्थित भूमि सर्वे कमांक 160 रकबा 0.90 है. तथा 170/1 रकबा 0.570 हैक्टर पर आवेदकगण व्दारा जबरन कब्जा कर लेने के कारण कब्जा वापिस दिलाने की प्रार्थना तहसीलदार से की गई है । तहसीलदार व्दारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये कार्यवाही विचारित की जा रही है। जहां तक अंतरिम आदेश दिनांक 20-4-14 से आवेदकगण के प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त करने का प्रश्न है ? तहसीलदार ने प्रतिपरीक्षण हेतु 9 माह की अवधि में 14 पेशियॉ आवेदकगण को प्रतिपरीक्षण हेतु दीं हैं किन्तु 9 माह की अवधि में आवेदकगण ने प्रतिपरीक्षण नहीं किया, इससे यही परिलक्षित है कि आवेदकगण जानबूझकर प्रकरण को लम्बित बनाये रखना चाहते हैं एंव अनावेदकगण की भूमि पर अनुचित कब्जा रखते हुये अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये प्रयासरत् हैं, तब जाकर तहसीलदार ने आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत संहिता की धारा 32 का आवेदन अंतरिम आदेश दि. 20.4.14

की कार्यवाही में सॅशोधन करके पुनः प्रतिपरीक्षण का अवसर देने की अनुचित मांग को अंतरिम आदेश दिनांक 24-5-14 से निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है। इस न्यायालय में भी आवेदकगण एंव उनके अभिभाषक का बार-बार अनुपस्थित रहने का आशय भी यही प्रतीत होता है कि अनावेदकगण की भूमि पर आवेदकगण अनुचित कब्जा रखने तथा अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण नहीं होने देना चाहते हैं ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार टोंकखुर्द जिला देवास द्वारा प्र0क0 17 अ 70/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 20-4-14 एंव 24-5-14 उचित प्रतीत होने से यथावत् रखे जाते है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर